(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2062-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-04-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 62/2014-15/अपील ।

1-शोभाराम पिता गेन्दालाल मृत तर्फे वारिसान :-

(अ) श्रीमती सन्जूबाई पति शोभारामजी

(ब) अभिषेक पिता श्री शोभारामजी

(स) कु0वैशाली पिता श्री शोभारामजी

(द) कु0वंशिका पिता श्री शोभारामजी

(इ) कु0पूनम पिता शोभारामजी

क्रमांक (ब) लगायत (इ) अवयस्क तर्फे

पालनकर्ता एवं प्राकृतिक पालक

माता श्रीमती सन्जूबाई पति शोभाराम

सभी निवासी ग्राम खजूरिया तहसील हातोद

जिला इंदौर

2-धर्मेन्द्र पिता श्री मोतीरामजी

निवासी ग्राम खजूरिया तहसील हातोद

जिला इंदौर म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मानसिंह पिता श्री मोतीरामजी

निवासी ग्राम खजूरिया तहसील हातोद

जिला इंदौर

.....अनावेदक

श्री सुनील कौशल, अभिभाषक-आवेदकगण

श्री मुकेश देवल, अभिभाषक-अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-04-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा ग्राम बदरखॉ तहसील हातोद में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 212 रकबा 1.473 हेक्टेयर भूमि के संबंध में नामान्तरण पंजी क्रमांक 22 में पारित आदेश दिनांक 1-1-2013 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25-9-2014 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-4-2016 से द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया था । उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बारे में किसी भी दिवानी न्यायालय के समक्ष अनावेदक के द्वारा उसकी वैधानिकता संबंधी कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामान्तरण निरस्त करने की कार्यवाही करने में त्रुटि की गई है और अनुविभागीय अधिकारी की अवैधानिक कार्यवाही को अपर द्वारा स्थिर रखने में भूल की है। यह भी कहा गया कि किसी विक्रय संव्यवहार या रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की वैधानिकता को लेकरयदि किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति या असन्तुष्ट पक्ष हो तो ऐसी स्थिति में उक्त संव्यवहार को लेकर एकमात्र विकल्प सिविल न्यायालय के समक्ष वाद दायर करना चाहिये था, राजस्व न्यायालय को यह अधिकारी नहीं है कि किसी भी विक्रय के संव्यवहार की पूर्णत या

उसकी वैधानिकता के बारे में कोई आदेश पारित करें, इसके उपरांत भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा नामान्तरण निरस्त करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगणों से क्रय की गई थी, इसलिये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा अनावेदक का नामान्तरण प्रश्नाधीन भूमि पर करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय का पूरा प्रतिफल अदा नहीं किया गया है । स्वयं आवेदक पक्ष ने इस तथ्य को स्वीकारा है । तहसील न्यायालय में अनावेदक को नहीं सुना गया था । अत: तहसील न्यायालय के अवैधानिक आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी की नस्ती में एवं अनुबंध पत्र भी पेश है जिसमें प्रश्नाधीन भूमि का मूल्य 79,00,000/- रूपये दर्शाया गया है जिसके अवलोकन से प्रथमदृष्टया ही न्यून मूल्यांकन का मामला बनता है। विक्रयपत्र तथा अनुबंध पत्र की प्रति कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को धारा 33 में कार्यवाही करने हेतु भेजी जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-04-2016 स्थिर रखा जाता है तथा विक्रय पत्र तथा अनुबंध पत्र की प्रति कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को धारा 33 में कार्यवाही करने हेतु भेजी जाती है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर